न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 42 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 04.03.2024

हरिनारायण पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी हाडावाली ढाणी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0

—अपीलांट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 31.01.2024 मिसल नम्बर 973 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री योगेश व्यास,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीणा,नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 24.09.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 825 / 1 मे से रकबा 5 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई मे राजकीय भूमि पर कब्जा डोल लगाकर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 260 / रू. पेनल्टी कायम कर भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय / तहसीलदार ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नही किया गया है और ना ही मौके की वास्तविक वस्तु स्थित की रिपोर्ट तलब की गई है।अपीलांट का उक्त भूमि पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट का रिहायशी टीन शेड बना हुआ है तथा चारो और चार दीवारी होकर गेट लगा हुआ है। भूमि को अपीलांट बाडे के रूप मे काम मे लेता आ रहा है। अपीलांट ने वाद स्थायी निषेघाज्ञा उनवानी हरिनारायण बनाम तहसीलीदार निवाई प्रकरण संख्याा 84 / 2023 न्यायालय सिविल न्यायाधीश निवाई के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है,जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2023 को अस्थायी

जिला कलेक्टर
टोंक

निषेधाज्ञा जारी करते हुए विपक्षी तहसीलदार निवाई को पाबंद कर रखा है कि उक्त वर्णित विवादित स्थल से बेदखल व बेकब्जा नही करे,उक्त आदेश के उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 825/1 रकबा 5 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा डोल लगाकर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट की और से अधीनस्थ न्यायालय में उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट कि और से उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 185/1 मे से रकबा 05 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा डोल लगाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट ने वाद स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी हरिनारायण बनाम तहसीलीदार निवाई प्रकरण संख्याा 84/2023 न्यायालय सिविल न्यायाधीश निवाई के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है,जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2023 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए विपक्षी तहसीलदार निवाई को पाबंद कर रखा है कि उक्त वर्णित विवादित स्थल से बेदखल व बेकब्जा नही करे,उक्त आदेश के उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे दिनांक 11.09.2024 को दस्तावेजात प्रस्तुत किये। दस्तावेजात के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि माननीय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई ने दीवानी विविध संख्या 84/2023 उनवान हरिनारायण बनाम तहसीलदार मे दिनांक 05.12.2023 के आदेश से न्यायहित मे अन्तरिम निषेधाज्ञा जवाब टी आई पेश होने तक जारी कि गई है और माननीय न्यायालय कि आदेशिका दिनांक 04.07.2024 मे पत्रावली वास्ते उचित आदेश दिनांक 26.09.2024 मे नियत है का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक